

आदेश.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृत निम्न पत्र संख्या-1053/X-4-15/1(533)/2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.6 है० वन भूमि के बदले दोगुनी 7.2 है० सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.6 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम मूनाकोट पट्टी मूनाकोट तहसील पिथौरागढ़ के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-85 भूखण्ड-9(3) ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 3716 मध्ये रकवा 0.981 है०, 3762 म० रकवा 1.753 है०, 3764 रकवा 0.845 है०, 3766 म० रकवा 1.180 है०, 3768 रकवा 0.763 है०, 3770 रकवा 0.636 है०, 3771 म० रकवा 1.042 है० कुल 07 खेतों की 7.200 है० सिविल भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम सुनिश्चित करें।
दिनांक मई 18, 2016

(एच०सी० सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-1051/सात-76/2015-16

दिनांक मई 19, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1053/22 सात/16.2.3/6106

(एच०सी० सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

उपस्थिति प्रमाणित:
अभिियन्ता
उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़